न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :– 20/2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/246
अनवान

1. छगनाराम पुत्र जेपाराम जाति रेबारी निवासी पांचला तहसील सांचौर, जिला जालोर

प्रार्थी...........

1. तहसीलदार (भूमिधारी), सांचौर, तहसील– सांचौर, जिला– जालोर (राज.)।
2. उका पुत्र श्री लक्ष्मणा।
3. करमीराम पुत्र श्री देवा।
4. चोपा पुत्र श्री लक्ष्मणा।
5. नेथी पुत्र श्री रामजी।
6. नारणा पुत्र श्री रामजी।
7. पार्वतीदेवी पत्नी श्री देवा।
8. मफाराम पुत्र श्री चमना।
9. मसराराम पुत्र श्री देवा।
10. सुजानाराम पुत्र श्री चमना।
11. हरचन्दराम पुत्र श्री चमना, जातियान रेबारी, निवासीगण पांचला, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर (राज.)।
12. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा पुर, तहसील–सांचौर, जिला– जालोर।
13. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा पांचला, तहसील–सांचौर, जिला– जालोर।
14. करसन पुत्र श्री काला, जाति– रेबारी, निवासी– पांचला, तहसील–सांचौर, जिला– जालोर।

अप्रार्थीगण...........

प्रार्थना–पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती करने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 10.10.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कलबी उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 2 से 11, 14 की ओर से श्री छोगाराम चौधरी उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1, 12, 13 एकपक्षीय।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:12:19 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :–

दिनांक:– 07.11.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि है मुझ प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 02 से 11, 14 की खातेदारी कृषि भूमि मौजा पांचला, पटवार हल्का– पांचला, तहसील सांचौर के खेत खाता संख्या 152 मे खसरा संख्या 406 रकबा 5.01 हैक्टेयर व मौजा बालीखेड़ा,

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

पटवार हल्का – पांचला, तहसील – सांचौर के खसरा संख्या 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 172/339, कुल रकबा 15.20 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्जसुदा है। जिसमे मुझ प्रार्थी का हिस्सा 1/12 है। तथा जमाबंदी में मेरा नाम शंकरराराम पुत्र जेपा दर्ज है। उक्त भूमि सवत् 2058 से 2061 में मुझ प्रार्थी के पिता जेपा के नाम दर्ज थी। उसके बाद मुझ प्रार्थी के पिता जेपा की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तण संख्या 140 दिनांक 12.01.2002 को भरते समय मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश शंकराराम पुत्र जेपा दर्ज कर दिया। जमाबंदी अवलोकनार्थ साथ सलंग्न है। जबकि मेरा वास्तविक नाम छगना राम पुत्र श्री जेपा राम है। नाम सम्बन्धी दस्तावेज अवलोकनार्थ साथ सलंग्न है। मौजा पांचला, पटवार हल्का पांचला, तहसील– सांचौर के खसरा संख्या 406 रकबा 5.01 हैक्टेयर, मौजा बालीखेड़ा, पटवार हल्का – पांचला, तहसील – सांचौर के खसरा संख्या 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 172/339, कुल रकबा 15.20 हैक्टेयर की भूमि मे 1/12 हिस्से का मुझ प्रार्थी के पिता जेपा की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तण भरते समय राजस्व अधिकारियो ने मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड मे त्रुटिवश शंकराराम पुत्र जेपा दर्ज कर दिया। तथा शंकराराम पुत्र जेपा नाम की लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त कर छगना राम पुत्र श्री जेपा राम किये जाने हेतू यह प्रार्थना–पत्र श्रीमान महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार स्वीकार फरमाकर पद संख्या 03 में वर्णित राजस्व रिकॉर्ड मे नाम की लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त किये जाने का आदेश देने का श्रम करावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी सं. 2 से 11 व 14 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगाराम उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1, 12, 13 एकपक्षीय।

3. अप्रार्थी संख्या 2 से 11, 14 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम पांचला व बालीखेड़ा, पटवार हल्का – पांचला, तहसील– सांचौर में आई हुई है तथा जमाबंदी में प्रार्थी का नाम त्रुटिवश शंकराराम दर्ज है। मौजा पांचला, पटवार हल्का पांचला, तहसील– सांचौर के खसरा संख्या 406 रकबा 5.01 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम व जाव प्रथम की भूमि मे 1/12 हिस्सा व मौजा बालीखेड़ा, पटवार हल्का – पांचला, तहसील–सांचौर के खसरा संख्या 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 172/339, कुल रकबा 15.20 हैक्टेयर भूमि मे 1/12 हिस्से में प्रार्थी के पिता जेपा की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तण भरते समय प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे त्रुटिवश शंकराराम पुत्र जेपा दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम छगना राम पुत्र श्री जेपाराम है। अतः जवाब मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:12:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

मौजा पांचला, पटवार हल्का– पांचला, तहसील– सांचौर के खसरा संख्या 406 रकबा 5.01 हैक्टेयर किरम चाही प्रथम व जाव प्रथम की भूमि मे 1/12 हिस्सा व मौजा बालीखेड़ा, पटवार हल्का– पांचला, तहसील– सांचौर के खसरा संख्या 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 172/339, कुल रकबा 15.20 हैक्टेयर भूमि मे 1/12 हिस्से मे प्रार्थी की शंकरराम पुत्र जेपा नाम की लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त कर छगना राम पुत्र श्री जेपा राम किया जाता है, तो हमे कोई आप्पति नही है।

4. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया है कि मौजा पाँचला एवं मौजा बालीखेड़ा, पटवार हल्का पाँचला, तहसील सांचौर में प्रार्थी के खातेदारी भूमि खाता संख्या 152, खसरा संख्या 406 (रकबा 5.01 है.) तथा खसरा संख्या 158, 161 से 172 एवं 172/339 (कुल रकबा 15.20 है.) राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का 1/12 हिस्सा है। संवंत् 2058 से 2061 तक उक्त भूमि प्रार्थी के पिता जेपा राम के नाम दर्ज थी। उनके देहांत के बाद विरासत नामान्तरण संख्या 140 दिनांक 12.01.2002 भरते समय प्रार्थी का वास्तविक नाम छगना राम पुत्र जेपा राम होने के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश शंकराराम पुत्र जेपा दर्ज कर दिया गया। जमाबंदी एवं नाम सम्बन्धी प्रमाण संलग्न हैं। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रार्थी के नाम की उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त कर छगना राम पुत्र जेपा राम दर्ज करने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 से 11 व 14 की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम पाँचला व बालीखेड़ा, पटवार हल्का पाँचला, तहसील सांचौर में स्थित है। जमाबंदी में प्रार्थी का नाम त्रुटिवश शंकराराम दर्ज हो गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम छगना राम पुत्र श्री जेपा राम है। मौजा पाँचला, खसरा संख्या 406 (रकबा 5.01 हैक्टेयर) तथा मौजा बालीखेड़ा, खसरा संख्या 158, 161 से 172 व 172/339 (कुल रकबा 15.20 हैक्टेयर) में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा है। विरासत नामान्तरण के समय प्रार्थी का नाम गलत दर्ज हो गया। उपरोक्त भूमि में दर्ज शंकराराम पुत्र जेपा नामक लिपिकीय त्रुटि को सुधारकर छगना राम पुत्र श्री जेपा राम किया जाए तो इस सुधार पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।

6. हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर [illegible] पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। [illegible] द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, राशन [illegible], जन आधार कार्ड का अवलोकन किया, उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त तमाम दस्तावेजात् के अनुसार प्रार्थी का नाम शंकराराम पुत्र जेपा की बजाय **छगना राम पुत्र जेपा राम** बदला जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:12:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

अनवान छगनाराम बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 20／2025
निर्णय तारीखः– 07.11.2025

–ःआदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा पांचला पटवार हल्का पांचला के खेत खाता सं. 152 खसरा नम्बर 406 रकबा 5.01 हैक्टर, मौजा बालीखेड़ा, पटवार हल्का – पांचला, तहसील–सांचौर के खेत खाता संख्या 8 के खसरा संख्या 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 172／339, कुल रकबा 15.20 हैक्टेयर में दर्ज प्रार्थी का नाम शंकराराम पुत्र जेपा की बजाय **छगना राम पुत्र जेपा राम** के नाम की राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पालनार्थ तहसीलदार सांचौर को तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक **07.11.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर * जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:12:19 IST
Reason: SelfAttested